LOK SABHA

Saturday, April 29, 1978/Vaisakha 9, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at five minutes past Eleven of the clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष जी, ग्वालियर में बिड़ला ग्रुप के 8 हजार मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, आन्दोलन चला रहे हैं.....

MR. SPEAKER : As I have already mentioned, there is no zero hour as such. You must take my permission before you say anything. Unless you give me in writing, I will not allow. Papers to be laid.

श्री सुरेन्द्र विक्रम : : मैंने आप का नोटिस दे दिया, लिख कर भी दे दूंगा।

11.06 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NAVAL CEREMONIAL, CONDITIONS OF SERVICE AND MISCELLANEOUS (AMENDMENT) REGULATION, 1978

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH) : On behalf of Shri Jagjivan Ram, I beg to lay on the Table a copy of the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 1978 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.R.O. 106 in Gazette of India dated the 15th April, 1978, under section 185 of the Navy Act, 1957. [*Placed in Library, See* No. LT-2219/78].

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha :—

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Insolvency Laws (Amendment) Bill 1978, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th April 1978."

INSOLVENCY LAWS (AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I lay on he Table of the House the Insolvency Laws (Amendment) Bill, 1978, as passed by Rajya Sabha.

11.07 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

RECOVERY OF BOMBS NEAR GULBARGA RAILWAY STATION AND ALSO UNDER A RAILWAY BRIDGE

SHRI RAJSHEKHAR KOLUR (Raichur) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

> "The reported recovery of four bombs with army markings near the Gulbarga railway station and also under a railway bridge on Central Railway, last week."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : Sir, the recovery of four grenades in the vicinity of Gulbarga Railway Station on 18th and 19th April, 1978 has come to Government's notice. According to a report received from the Karnataka Government, on the morning of 18th April a watchman of a private textile mill noticed two hand grenades by the side of godown towards the east of the Gulbarga Railway Station. The Railway Police seized the grenades and a case was registered under Section 5(3) B of the Indian Explosives Act 1884. Similarly on the morning of 19th April a coolie noticed two grenades near a railway bridge close to the eastern end of the platform. These grenades were also seized by the Railway Police and another case was registered under the Indian Explosives Act.

While further investigations are in progress in respect of both these cases, the Ministry of Defence have confirmed that the recovered grenades are of military origin intended for simulation purposes during training and are harmless. However', patrolling in the area has been intensified by the local police.

श्री राजशेखर कोलूर : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी मंत्री महोदय ने अपने बयान में बताया है, वह सब कुछ पेपर्स में आया है। कोई नई चीज बताने की कृपा नहीं की है। मेरा मेन उद्देश्य सवाल पूछने का यह था कि यह जो आर्मी मार्किंग के बम थे, ये गुलबर्गा स्टेशन के करीब कैसे आए क्योंकि वहां कोई मैन्युफेक्चरिंग फैक्टरी नहीं है जो आर्मी के लिए बम्स बनाए जाते। दो जगहों पर दो दो बम मिले। एक 18 तारीख को मिले और दूसरे 19 तारीख को मिले। तो इन बमों के वहां पर आने की वजह क्या है, कैसे लाए गये, इस के बारे में गृह मंत्रालय इन्फार्मेशन कलेक्ट करने में असफल रहा है। यह सब को मालूम है कि बम मिले हैं और केस रजिस्टर किये गये हैं और यह दुर्भाग्य की बात है कि जो दो बम दो जगहों पर रखे गये थे उन को दूसरे ही लोगों ने देखा। एक का पता टैक्सटाइल के वाचमैन ने ढूंढ कर लगाया और दूसरे का रेलवे कुली ने लगाया और जो रेलवे के करीब था, वह दूसरे दिन मिला। हमारे रेलवे मंत्री महोदय ने बताया था कि हमारे पास 14 हजार वैगमन हैं और 11 हजार प्रोटैक्शन फोर्स है जो एक लाख रुपया वे इस पर प्रति दिन खर्च करते हैं। गुलबर्गा डिवीजनल हेडक्वार्टर है और वहां पर काफ़ी फोर्स भी रहती है और हाल ही में जो साऊथ रेलवे पर गड़बड़ हुई थी, तो उस के लिए काफ़ी स्टाफ़ भी पोस्ट किया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस को ढूंढने में एक दिन क्यों लगा ? कुछ पेपर्स में यह भी आया है कि पुलिस वालों का अन्दाजा है कि ट्रेन में जाते वक्त ये गिर गये होंगे। इस के बारे में मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जब कभी ऐसे मिलिट्री एक्सप्लोसिव्ज रेलवे वैगन्स पर ले जाए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे डिब्बे इस्तेमाल करते हैं और उनको लोड भी आर्मी के लोग करते हैं और उस पर एस्कोर्ट भी होती है और वे ट्रेनें सब रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती हैं बल्कि कुछ खास खास बड़े बड़े स्टेशनों पर ही रुकती हैं पानी लेने के लिए या इंजन को कुछ ठीक करने के लिए, इस के बावजूद भी ये बम कैसे गिर गये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये बम कहां से दिये गये थे, क्यों दिये गये थे और कहां ले जाए जा रहे थे और कहां मिस हुए, इस सब का जवाब न डिफेन्स वालों ने दिया है और न ही इसके बारे में गृह मंत्रालय ने कोई खास जानकारी दी है। बड़ी आसानी से और सरल भाव से ही इस चीज को लिया गया दिखाई देता है। मात्र यह कह दिया गया कि हार्मफुल नहीं हैं। कहां से ये आए, किस एकाउंट में से आए कुछ भी नहीं बताया गया है। यह केवल कह दिया गया है कि केस रजिस्टर हो गया है। इसको छोटी सी बात कह कर आपको नजरंदाज नहीं कर देना चाहिये। यह एक चिनगारी है जो कल को भड़क कर आग बन सकती है। इस वास्ते इस तरह की घटना को नजरंदाज करना गलत है। बम कहां से आए कहां से मिस हुए क्या इसके बारे में आपने डिफेंस वालों से पूछा है। अगर ये हार्मलैस भी थे तो भी

किस एकाउंट से में गए हैं। आप ने कहा है कि ट्रेनिंग के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अब इनका किस तरह से उपयोग होना है वह भी उनके ऊपर लिखा गया होगा। डिफेंस फोर्सिस का कोई भी मैटीरियल अगर इस तरह से गायब हो जाता है तो क्या सरकार कोई कड़े कदम उठाएगी या नहीं ताकि वह गायब न हो। वेग रिप्लाई देने से कोई लाभ नहीं। उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप ठीक ठीक बताएं और पता लगाएं कि ये कैसे वहां पर आए। दो दिन ये वहां पर पड़े रहे, न रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स वाले इनको ढूंढ पाए और न ही पुलिस के लोगों ने इनको ढूंढा। लोगों ने खुद बताया कि वे यहां पर पड़े हुए हैं। इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिये। देश में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि भारत की जनता आजकल रेलों से सफर करने से घबरा रही है। नवम्बर 1977 में मुरादाबाद के करीब एक इंसीडेंट हुआ था। रेल कर्मचारी वहां काम कर रहे थे। बंदूकधारी लोगों ने उनको आकर डराया धमकाया और कहा कि उनको गोली का निशाना बना दिया जाएगा। आपने बहुत ही सरल भाव से इस का उत्तर दे दिया है। आप यह बताएं कि ठोस कदम आप क्या उठा रहे हैं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। क्या आप जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे? बम कहां से आए और कहां जा रहे थे यह भी आप बताएं? कहां से ये मिस हुए और किस एकाउंट में से गए यह भी आप बताएं।

श्री धनिक लाल मंडल : सरकार किसी घटना को नजरंदाज करना नहीं चाहती। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। केवल सरकार किसी घटना को तूल भी नहीं देना चाहती। जितना किसी घटना का महत्व है उतना ही महत्व उसको दिया जाना चाहिये, न ज्यादा और न कम। मैंने बताया है कि ये ग्रेनेड ट्रेनिंग परपज के लिये थे। इनका काम सिर्फ आवाज करना होता है। इन से कोई खतरा नहीं होता। रिपोर्ट यह है कि आदमी को ये नहीं मार सकते। केवल आवाज होती है इन से। सैबोटेज करने का किसी का इरादा होता तो सैबोटीयर्ज इनका इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी जांच हो रही है, पुलिस विभाग की ओर से और डिफेंस विभाग की ओर से भी। जब वह पूरी हो जाएगी तभी कुछ डैफीनिट कह पाना सम्भव होगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि सफर करना रेलों से खतरनाक हो गया है। उस दिन रेल मंत्री जी ने सम्यक इसका जवाब दिया था। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि रेलों से सफर करने में कोई खतरा नहीं है। जो दुर्घटनाएं हुई हैं एक आध को छोड़ कर जिस में आशंका है कि सैबोटेज हुआ है, और किसी में ऐसी आशंका नहीं है। स्थिति पर पूरा नियंत्रण पा लिया गया है।

MR. SPEAKER : You have not answered his question, how did it come about, how was it found out ?

श्री धनिक लाल मंडल : जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है पुलिस विभाग तथा डिफेंस विभाग की ओर से तब तक कुछ भी कहना सम्भव नहीं हो सकता है। इस तरह के ग्रेनेड जो देश के एक हिस्से से दूसरे में ले जाए जाते हैं हो सकता है कि केअरलैसनेस के कारण वे रह गए हों। मुझे यह जानकारी दी गई है कि ट्रेनिंग के काम में इस तरह के ग्रेनेड दिए जाते हैं मिलिटरीमैन को। वे जब घर जाते हैं तो एक आध वे ले भी जाते हैं। इनका मछली पकड़ने में बड़ा इस्तेमाल होता है। पानी के अन्दर रख देने पर मछलियां ऊपर चली आती हैं और आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। यह भी कारण हो सकता है। यह भी हो सकता है कि केअरलैसनेस की वजह से किसी के बेग से ये गिर गए हों।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने कहा कि इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए, और मैं भी मानता हूं कि किसी चीज को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिये । लेकिन मैं इसको गम्भीरतापूर्वक ले रहा हूं और इसलिये मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह भी इसको गम्भीरतापूर्वक लें । इसलिये कि यह बम विस्फोट होना यह कोई आर्डिनरी बम नहीं है जिसको लोग देहातों में नाजायज तरीके से बनाते हैं, जिनके हम लोग प्रतिनिधि हैं उनमें से कुछ लोग बनाते हैं । तो वैसा बम नहीं था बल्कि वह मिलिटरी का बम था, और मिलिटरी के बम के सम्बन्ध में जहां से हम आते हैं और हमारे गृह राज्य मंत्री आते हैं इनके घर के बगल में ही 1975 में भयंकर कांड हुआ, ठीक इसी तरह का कांड हुआ । अन्तर केवल इतना ही है कि यह मछली मारने वाला बम था । और वह स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र को मारने वाला बम था । लेकिन ठीक इसी तरह रेलवे लाइन के बगल में प्लेटफार्म पर बम विस्फोट हुआ था और वह मिलिटरी का बम था । लेकिन भयंकर घटना घट गई । 22 को बम फटा और 23 तारीख को ललित बाबू की मृत्यु हो गई । इसलिये जब तक कोई घटना घटती नहीं है तब तक उसको हल्का माना जाता है, लेकिन जब भयंकर रूप से घटना हो जाती है तो वह देश के लिये शर्मनाक बात हो जाती है । और इस घटना का तीन विभागों से सम्बन्ध है, ला ऐंड आर्डर के बारे में गृह मंत्रालय से इसका सम्बन्ध है, डिफ़ेंस का यह बम था इसलिये सुरक्षा मंत्रालय से इसका सम्बन्ध है और चूंकि रेलवे लाइन पर बम फटा है इसलिये रेल विभाग का भी यह मामला है ।

आपने कहा कि नेग्लीजेंस है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लापरवाही बरती गई है क्योंकि आप यह तो नहीं कह सकते कि कोयले का आधा टुकड़ा था जो इधर उधर गिर गया । वह बम है, ग्रेनेड है, और जब आदमी उसको ले कर चलता है तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी है । आपने कहा कि कुछ लोगों को अनुमति दी जाती है । मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे इस प्रकार की अनुमति दे दी जाती है । सुरक्षा मंत्री जी बताएंगे कि क्या मछली पकड़ने के लिये वह किसी को बम ले जाने की अनुमति देते हैं ? तो तीनों मंत्रालयों से इसका सम्बन्ध है । और जो हाल की घटनाएं घट रही हैं, कहीं रेलवे लाइन पर बम का पाया जाना, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप स्थिति को गम्भीरता को देखिये, कहीं रेलवे लाइन पर बम रहता है, कहीं रक्षा कार्यालय में आग लगती है, कहीं रेलवे ऐक्सीडेंट होता है, कहीं विदेशी दूतावास में आग लगती है । रेलवे में ही उसी दिन मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, हम लोग आश्वस्त हैं, और मैंने कहा कि हमारे मंत्री जी जब कहते हैं तो हम लोग आश्वस्त हैं । लेकिन किसी घटना की कोई सीमा तो होती है । उसी के दूसरे दिन बरौनी में 5 आदमी मर गये रेलवे ऐक्सीडेंट में । जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे तो उन्होंने रिजाइन किया था । हम लोग भी जब विरोध में थे तो मांग करते थे कि कोई शर्मनाक घटना घटे तो मंत्री महोदय को अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये । मंत्री महोदय बिल्कुल जवाबदेही के साथ कहते हैं जब हरिजनों का मामला आया था कि यही हमारे विभाग में हरिजनों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिये मैं जिम्मेदार हूं । उसी तरह से चाहे रेल मंत्री हों, गृह मंत्री हो, या रक्षा मंत्री हों, मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि आप अधिकारियों पर बात को न छोड़िये क्योंकि आपके आदेशों का कितना पालन किया जाता है, यह सब को मालूम हो गया है कि अफ़सरों की नजर में कोई इज्जत नहीं है । इसलिये जब तक आप कड़ाई के साथ कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा । इसलिये मेरा कहना है कि मंत्रियों को जवाबदेही लेनी

चाहिये । और जब आप एक बार सदन में कह देते हैं तो सदन आश्वस्त हो जाता है कि अब रेल पर चलने में कोई खतरा नहीं है, शांति व्यवस्था का मसला देश में काबू में है, डिफ़ेंस जैसे विभाग में भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी । मैं समझता हूं कि हाउस इस पर आश्वस्त हो जाता है, देश की जनता आश्वस्त हो जाती है । लेकिन आप इधर कह कर निकले और दूसरे ही दिन ट्रेन ऐक्सीडेंट हो गया, ला एंड आर्डर का मामला उत्पन्न हो गया, विदेशी दूतावास में आग लग गई । तो यह सारे मामले हैं । मैंने उस दिन भी कहा था, मेरा तो स्पष्ट चार्ज है कि इस देश में कोई संगठित गिरोह है जिसकी मारफत यह सारी चीज हो रही है। आपके सामने प्रशासनिक डिफिकल्टीज हैं, आपके प्रशासन के लोग आपसे कहते नहीं हैं, आप पालियामेंट में कहते हैं कि इसमें सैबोटाज का मामला नहीं है ।

मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने पता लगाया है कि इन सारी घटनाओं के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है और क्या सरकार यह बतलायगी, क्योंकि यह क्वैश्चन पोस्टपोन किया गया, 26 तारीख से 29 तारीख में रखा गया कि जवाब मंगाया जायेगा, इसलिये इसमें यह कहना कि इन्क्वायरी जारी है, मैं इसको नहीं मानता हूं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने इन्क्वायरी की है, और आपने कहा है कि नैगलीजैंस का मामला है, सरकारी अफसर की नैग्लीजैंस है, तो वह कौन सरकारी कर्मचारी है, जिसकी नैग्लीजैंस के कारण यह घटना घटी ? क्या आप सारे तथ्यों का पता लगाकर जांच कर के फिर सदन को बतायेंगे, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय सदस्य को यह शंका है कि इसके पीछे कोई खास गिरोह है जो तोड़फोड़ का काम कर रहा है, सैबोटाज का काम कर रहा है । जैसा अभी मैंने कहा, जो वर्तमान घटना है, इसमें सैबोटाज की संभावना प्रतीत नहीं होती, लेकिन मैंने यह भी कहा कि इस पर मैं कोई डैफिनिट ओपीनियन नहीं देना चाहता हूं क्योंकि पुलिस विभाग और डिफैन्स विभाग की ओर से जांच हो रही है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है, माननीय सदस्य शायद इसके फर्क को नहीं समझे कि यह हैंड ग्रनेड रीयल नहीं है, यह सिमूलेशन के काम में आता है, क्रैकर किस्म की चीज है और ट्रेनिंग परपज के लिये है । इससे आवाज ही हो सकती है, किसी को नुक्सान इससे नहीं हो सकता इसलिये यह रीयल हैंडग्रेड नहीं है । इसीलिये मैंने कहा कि इसके पीछे अगर कोई सैबोटाज की नीयत होती तो रीयल हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल होता न कि ट्रेनिंग वाला जिससे कोई नुकसान नहीं होता है । फिर भी मैंने माननीय सदस्य को कहा कि जब तक इसकी जांच नहीं होती है, हम इस पर कोई डैफिनिट ओपीनियन नहीं देंगे । जांच होने दीजिये, जब वह हो जायेगी तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी करायेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इनसे जवाब दिलवाइये . . . (व्यवधान)

MR. SPEAKER : You are making it a habit to ask a second question. I am not allowing it. He has said that the matter is under investigation, he will not be able to say anything at present though *prima facie* it does not look like that.

श्री राम विलास पासवान : इन्होंने कहा है कि मैं आपको जानकारी दूंगा, मैंने कहा कि सदन को जानकारी दीजिये ।

11'23 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : With your permission, Sir, I rise to announce